भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

विकलांगों और बुजुर्गों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप (टीआईडीई)

अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास प्रस्तावों का आह्वान

विकलांग और बुजुर्गों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप (टीआईडीई)

बुजुर्गों के लिए पुनर्गठित प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप (टीआईई) कार्यक्रम जिसे अब विकलांग और बुजुर्गों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप (टीआईडीई) कहा जाता है, समस्याओं को हल करने और एसएंडटी हस्तक्षेपों पर केंद्रित पहल के साथ बुजुर्ग आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ तकनीकी समाधान प्रदान करने के अलावा, इसका उद्देश्य सक्षम वातावरण बनाकर समग्र विकास के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान करना भी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से उनका सशक्तिकरण।

स्कोप

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समानता, सशक्तिकरण और विकास प्रभाग (सीड) ने देश में बुजुर्ग आबादी और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों पर एक केंद्रित पहल शुरू की है। बुजुर्ग आबादी और विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ तकनीकी समाधानों के लिए अनुसंधान और विकास के प्रस्तावों पर इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा। इस पहल के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव, हालांकि प्रतिबंधित नहीं है, निम्नलिखित विषयों को संबोधित कर सकता है।

1. शहरी/परिक्षेत्र-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न निर्मित वातावरणों में बुजुर्ग आबादी और विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सरल समाधान/सहायक उपकरणों का डिजाइन और विकास:

• कार्यक्षमता में सुधार के लिए लागत प्रभावी और किफायती सहायक उपकरण, सीखने के लिए संज्ञानात्मक, सहायक सुरक्षा उपायों के तरीके आदि।

• लागत प्रभावी दृश्य/श्रवण यंत्र।

•लागत प्रभावी डेन्चर/दंत प्रत्यारोपण, आदि।

• व्यावसायीकरण के लिए समावेशी डिजाइन क्षमता।

• उत्सर्जन संबंधी दोषों और संबंधित मुद्दों में सुधार के लिए सहायक उपाय।

• निगरानी उपकरणों के विभिन्न रूप / गैर-आक्रामक माप उपकरण / प्रणालियां (चोट की रोकथाम, गैर संचारी के लिए रक्त पैरामीटर, रोग, खड़े और संतुलन प्रशिक्षण)।

• अक्सर होने वाली पेशीय-कंकाल संबंधी समस्याओं जैसे घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, टखने के जोड़ों और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सहायक उपकरण।

• मधुमेह में पैर और देखभाल के लिए विशेष उपकरण / फुटवेयर, नैदानिक निदान के लिए बायोसेंसर, स्वचालित गोली बॉक्स और चिकित्सा परिवर्तनों के कंप्यूटर संकेतों को सीखने और विश्लेषण करने के तरीके।

• बुजुर्गों की फिटनेस के लिए उपकरण/कार्यक्रम।
• घरेलू उपकरणों के संचालन के लिए सरल नियंत्रित उपकरण।

2. निवारक देखभाल को शामिल करने के लिए बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास
   • क्षेत्र विशिष्ट पोषाहार पैकेज
   • संहिताबद्ध भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में बुजुर्गों के लिए पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और सत्यापन।
   • बुजुर्गों के लिए संज्ञानात्मक समर्थन (अल्जाइमर/पार्किंसंस/डिमेंशिया, आदि)।

3. विकलांग लोगों के लिए बहु-विषयक अनुसंधान सामग्री/आर एंड डी कार्यक्रम का विकास जिसमें निम्नलिखित हैं-
   • प्रकृति में आनुवंशिक (थैलेसीमिनस-विरासत से प्राप्त रक्त विकार, आदि।
   • पोषण की कमी आधारित (स्पाइनल बिफिडा-फोलिक एसिड की कमी, आदि)
   • हार्मोनल विसंगतियां/चयापचय संबंधी विकार
   • संस्थागत प्रसव (मानसिक मंदता)
   • दुर्घटनाओं के माध्यम से प्राप्त (कृषि उपकरणों आदि में सुरक्षा सुविधाएँ)।

4. स्वीकृति मूल्यांकन और आगे अनुकूलन के लिए नव विकसित प्रौद्योगिकी का क्षेत्र परीक्षण।
5. भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बुजुर्गों के उपयोग के लिए विशिष्ट पहले से मौजूद तकनीक का मॉड्यूलेशन।
6. लोकोमोटर, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण, मानसिक मंदता / बीमारी सेरेब्रल पाल्सी, आत्मकेंद्रित, स्पेक्ट्रम विकार, प्रकृति में कई और अन्य अधिग्रहित स्थितियों के विकलांग व्यक्तियों के लिए निवारक प्रौद्योगिकी पैकेज।
7. 7. बुजुर्ग आबादी और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रसोई।

<u>उपरोक्त विषयों के अलावा, देश में बुजुर्ग लोगों और विकलांग क्षेत्र के सक्षमता और आराम से संबंधित किसी अन्य नवीन/ अभिनव विचार / अवधारणा पर भी विचार किया जाएगा।</u>

<u>आवेदन प्रक्रिया</u>

1. शैक्षिक/अनुसंधान एवं विकास संस् थानों/संभावित स् वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के निष् पादन में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ प्रस् ताव प्रस् तुत किए जा सकते हैं। प्रस्ताव में पहचान की गई जरूरतों और अत्याधुनिक सर्वेक्षण, प्रस्तावित समाधान पर ध्यान केंद्रित करने वाले उद्देश्यों, परियोजना डिलीवरेबल्स, बाजार क्षमता और प्रौद्योगिकी विकास / परीक्षण / सत्यापन / अनुकूलन / उत्पादन और व्यावसायीकरण के लिए पेशेवर एजेंसियों / उद्योगों के साथ अच्छी तरह से परिभाषित टाई अप के आधार पर समस्या के विवरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। अनेक एजेंसियों/संस्थानों को शामिल करते हुए नेटवर्क परियोजनाओं और सहयोगात्मक प्रस्तावों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्यक्रम के आउटपुट के आवेदन में विशिष्ट रुचि रखने वाले संगठन भागीदारों के रूप में शामिल हो सकते हैं।

2. सभी प्रस्तावों में "समस्या पहचान" और "उपयोगकर्ता समूह" अनिवार्य हैं। वांछनीय शर्तों में उद्योग भागीदारी (सरकारी/निजी/गैर सरकारी संगठन) और अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ स्थायी गठजोड़ शामिल हैं, जिसके बिना आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

3. सामाजिक विज्ञान, शुद्ध जैव चिकित्सा/फार्मा/नैदानिक अनुसंधान के क्षेत्रों को शामिल करने वाले प्रस्ताव और केवल प्रदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं इस कार्यक्रम के दायरे में नहीं आती हैं।

4. सामाजिक विज्ञान, शुद्ध जैव चिकित्सा/फार्मा/नैदानिक अनुसंधान के क्षेत्रों को शामिल करने वाले प्रस्ताव और केवल प्रदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं इस कार्यक्रम के दायरे में नहीं आती हैं।

5. शैक्षणिक/अनुसंधान एवं विकास संस्थान/संभावित स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हुए डीएसटी की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रस्ताव (10 हार्ड कॉपी और 1 सॉफ्ट कॉपी) प्रस्तुत कर सकते हैं। परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप और दिशानिर्देश वेबसाइट www.scienceandsociety-dst.org पर उपलब्ध है। प्रस्तावों वाले लिफाफे पर "टाइड प्रोग्राम के तहत प्रस्ताव" लिखा होना चाहिए और इसे नीचे दिए पते पर भेजा जाना चाहिए।

इक्विटी, अधिकारिता और विकास प्रभाग के लिए विज्ञान (सीड) प्रमुख, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
प्रौद्योगिकी भवन,
न्यू महरौली रोड,
नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26590339, टेलीफैक्स: 011-26964793

डॉ. कोंगा गोपीकृष्ण, वैज्ञानिक - 'सी',
विज्ञान समानता, सशक्तिकरण और विकास प्रभाग (सीड),
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन,
न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली – 110016
(ई-मेल: kongagopikrishna@yahoo.com और फोन: +91 11 26590298) इस कार्यक्रम के प्रभारी वैज्ञानिक हैं और टाइड कार्यक्रम और परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से संबंधित किसी भी प्रश्न / प्रश्न के लिए संपर्क किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव पूरे वर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तथापि, 28 सितम्बर, 2012 तक प्राप्त प्रस्तावों और उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रस्तावों पर अगली कार्यक्रम सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक में मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

****